रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112024-258472
CG-DL-E-06112024-258472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 899] नई दिल्ली, मंगलवार , नवम्बर 5, 2024/कार्तिक 14, 1946
No. 899] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 2024/KARTIKA 14, 1946

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2024

फा. सं. एल-1/260/2021-केविविआ.— चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2024 (इसके बाद "डीएसएम विनियम, 2024") को दिनांक 21.08.2024 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-।।।, खण्ड 4, सं. 642 में प्रकाशित किया गया था।

चूंकि, उक्त विनियमों के विनियम 1 के खण्ड (2) में उपबंध है कि ये विनियम अलग से आयोग द्वारा यथाधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे।

चूंकि, उक्त विनियमों के आरंभ के लिए अधिसूचना दिनांक 10.09.2024 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-।।।, खंड-4, सं. 712 में प्रकाशित हुई थी।

चूंकि, डीएसएम विनियमों के विनियम 8 के खण्ड 8 के सिवाय सभी उपबंधों के आरंभ के लिए और उक्त विनियमों के खण्ड 8 के आरंभ होने की अधिसूचना भी दिनांक 30.09.2024 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-।।।, खंड-4, सं. 766 में प्रकाशित किया गया था।

और, अब, अतएव, दिनांक 30.09.2024 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-।।।, खंड-4, सं. 766 में प्रकाशित पूर्वोक्त अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है किः

डीएसएम विनियम, 2024 के विनियम 8 के खण्ड 8, जब तक अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो, 01.12.2024 के 00.00 घण्टों से प्रभावी होंगे और 30.11.2024 के 24.00 घण्टों को समाप्त अवधि तक, याचिका सं. 01/एसएम/2023 में दिनांक 06.02.2023 के आदेश का पैरा 27(3)(क) प्रचालन में जारी बना रहेगा।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./667/2024-25]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2024

F. No. L-1/260/2021/CERC.—Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 (hereinafter "the DSM Regulations, 2024") were published in Part-III, Section 4, No. 642 of the Gazette of India Extraordinary on 21.08.2024.

Whereas, Clause (2) of Regulation 1 of the said regulations provides that the Regulations shall come into force on such date as may be notified by the Commission separately.

Whereas, notification for the commencement of the said regulations was published in Part-III, Section 4, No. 712 of the Gazette of India Extraordinary on 10.09.2024.

Whereas, the notification for commencement of all provisions except Clause 8 of Regulation 8 of the DSM Regulations as also the commencement of Clause 8 of the said Regulations, were published in Part-III, Section 4, No. 766 of the Gazette of India Extraordinary on 30.09.2024.

And, now, therefore, in partial modification of the aforesaid Notification published in Part-III, Section 4, No. 766 of the Gazette of India Extraordinary on 30.09.2024, it is hereby notified that:

Clause 8 of Regulation 8 of the DSM Regulations, 2024 shall, unless notified otherwise, come into effect from 00.00 hours of 01.12.2024 and until the period ending 24.00 hours of 30.11.2024, para 27 (3) (a) of the Order dated 06.02.2023 in Petition No. 01/SM/2023 shall continue to be in operation.

HARPREET SINGH PRUTHI. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./667/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.11.06 15:10:50 +05'30'